43011/4/2018-स्था. (आरक्षण)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

स्थापना (आरक्षण-I) अनुभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक : 04 अप्रैल, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय : अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) की नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती में स्वयं की मेरिट लागू होने से संबंधित अनुदेशों को दोहराने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आर. के. सब्बरवाल बनाम पंजाब राज्य मुकदमे में अपने निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ, टिप्पणी की थी कि "आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार गैर-आरक्षित पदों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और उक्त पदों पर उनकी नियुक्ति होने की स्थिति में आरक्षण की प्रतिशतता निकालने के लिए न तो उनकी संख्या को शामिल किया जा सकता है और न ही उस पर विचार किया जा सकता है।"

2. इस विभाग के दिनांक 02.07.1997 के का.ज्ञा.सं. 36012/2/96-स्था.(आरक्षण) द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, केंद्र सरकार की नौकरियों और सेवाओं में सीधी भर्तियों में, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए लागू मानक पर चयनित होने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आरक्षित रिक्तियों के लिए समायोजित नहीं किया जाएगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01.07.1998 के का.ज्ञा.सं. 36011/1/98-स्था.(आरक्षण) द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार केवल उसी स्थिति में उम्मीदवारों का चयन आरक्षित रिक्तियों के लिए किया गया माना जाएगा, जब उनका चयन करने में आयु सीमा, अनुभव, योग्यता, लिखित परीक्षा में अनुमतिप्राप्त अवसरों की संख्या आदि जैसे मानकों को शिथिल किया गया हो।

3. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर माननीय संसदीय समिति द्वारा इस विभाग के ध्यान में यह तथ्य लाया गया है कि केंद्र सरकार की नौकरियों और सेवाओं में सीधी भर्ती के कुछ मामलों में इन अनुदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अत: यह पुन: दोहराया जाता है कि सीधी भर्तियां करते समय इस विभाग के दिनांक 02.07.1997 के का.ज्ञा.सं. 36012/2/96-स्था.(आरक्षण) और दिनांक 01.07.1998 के का.ज्ञा.सं. 36011/1/98-स्था.(आरक्षण) द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों को सभी संबंधितों द्वारा ध्यान में रखा जाए।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि इस का.ज्ञा. की विषय-सामग्री को सूचनार्थ और अनुपालन के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाएं।

राजू सारस्वत

(राजू सारस्वत)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 2309 2110

....2/

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।
2. वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली।
3. लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली।
4. रेल बोर्ड, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली।
5. सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग, नई दिल्ली।
6. उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रीमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/नीति आयोग।
7. संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग
8. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली।
9. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली।
10. राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग, त्रिकूट-1, भीकाजी कामा प्लेस, आर. के. पुरम, नई दिल्ली।
11. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
12. सूचना एंव सुविधा केंद्र, डीओपीटी, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
13. निदेशक, आईएसटीएम, ओल्ड जेएनयू कैंपस, ओल्फ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली-110067
14. एनआईसी, डीओपीटी - डीओपीटी की वेबसाइट अद्यतन करने के लिए
15. हिंदी अनुभाग को हिंदी अनुवाद उपलब्ध करवाने हेतु।